फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

ऑरिक्स लीजिंग फाईनेन्शियल बनाम तेजेन्दर पाल सिंह छावडा व अन्य

प्रकरण संख्या : 651/2022 (प्रा० पत्र धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
28.11.2022	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र अपूर्ण है एवं वित्तीय संस्था द्वारा बंधक संपत्ति के वैध दस्तावेज आदिनांक तक प्रस्तुत नहीं किए गए है। अतः धारा 14 सरफेशी अधिनियम–2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को त्रुटिपूर्ण दस्तावेजों के अभाव में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक बाद पूर्ति नये सिरे से प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम हो। जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	